भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2122
दिनांक 14 मार्च, 2023

कृषि स्नातकों की सेवाओं का उपयोग

2122. श्री सी.एन. अन्नादुरई:
श्रीमती मंजुलता मंडल:
श्री धनुष एम. कुमार:
श्री जी. सेल्वम:

क्या **कृषि और किसान कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार किसानों की सहायता हेतु अपनी विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के तहत कृषि स्नातकों की सेवाओं का उपयोग कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) सरकार द्वारा उक्त उद्देश्य के लिए तमिलनाडु और ओडिशा राज्य को कितनी निधि आवंटित/स्वीकृत की गई है;
(ग) कृषि स्नातकों को मिलने वाले पारिश्रमिक और सुविधाओं का ब्यौरा क्या है; और
(घ) सरकार द्वारा लघु और सीमांत किसानों की आजीविका में सुधार के लिए अन्य क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

कृषि और किसान कल्याण मंत्री
(श्री नरेन्द्र सिंह तोमर)

(क) ग्रामीण जागरूकता कार्यानुभव (आरएडब्ल्यूई), इंटर्नशिप एवं इन-प्लांट प्रशिक्षण वाले ''छात्र ग्रामीण उद्यमिता जागरूकता एवं विकास योजना (स्टूडेंट्स रेडी)'' नामक छह माह के कार्यक्रम के अंतर्गत छात्रों को पूर्व स्नातक (यूजी) पाठ्यक्रम के अनुसार अनिवार्य रूप से किसानों और उद्योगों से मिलने और बातचीत करने (इंटरैक्ट) का कार्य दिया जाता है, जिससे पारस्परिक रूप से किसान और छात्र लाभान्वित हो सकें।

(ख) वर्ष 2021-22 के दौरान कथित प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा आवंटित/मंजूर निधियों की राशि निम्नवत है:-

तमिलनाडु : रु. 1.01 करोड़
ओडिसा : रु. 1.02 करोड़

(ग) ''स्टूडेंट रेडी'' कार्यक्रम के अंतर्गत कृषि एवं संबद्ध विषयों में पूर्व स्नातक (यूजी) की उपाधि के लिए अध्ययन करने वाले छात्रों को रु. 3, 000/- (रु. 2,500/- आईसीएआर/ डेयर का हिस्सा + रु. 500/- राज्य का हिस्सा) प्रति छात्र प्रति माह का स्टाइपेंड अधिकतम छह माह की अवधि के लिए दिया जाता है। कार्यक्रम के दौरान परिचालनगत व्ययों (संकाय व्यय, आकस्मिकता, पीओएल, दवाईयॉ आदि खर्च) के लिए आईसीएआर/डेयर द्वारा रु. 500/- प्रति छात्र प्रतिमाह भी दिया जाता है।

-2/.....

(घ) भारत सरकार छोटे एवं सीमान्त किसानों सहित सभी किसानों के साथ-साथ कृषि क्षेत्र की वर्तमान एवं भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए केन्द्रीय क्षेत्र वाली तथा केन्द्र द्वारा प्रयोजित कई योजनाओं का कार्यान्वयन करती है। इन योजनाओं में कृषि संबंधी सभी विषय शामिल हैं। ये विषय बुनियादी ढांचा, प्रौद्योगिकी, यंत्रीकरण, सिंचाई, उर्वरक, बीज, कौशल विकास, किसानों को आय में सहयोग, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसलों की खरीद, सब्सिडाइज़्ड दरों पर ऋण एवं फसल बीमा, विपणन, प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के माध्यम से ऐग्री-स्टार्टअप्स आदि को समर्थन देने, न्यूनतम खरीद मूल्य, किसान क्रेडिट कार्ड, कृषि के लिए संस्थागत ऋण, ब्याज परिदान (सबवेंशन) योजना, कृषि बुनियादी ढांचा निधि, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, एफपीओ आदि का गठन छोटे व सीमांत किसानों की आजीविका में सुधार हैं।

आईसीएआर-संस्थान/कृषि विज्ञान केन्द्र नियमित रूप से फसल विज्ञान, बागवानी, पशुधन मछली पालन, घर के अहाते में कुक्कुट पालन के कार्य में लगे किसानों की व्यावसायिक सुरक्षा और खेतिहर महिलाओं के स्वास्थ्य पर नियमित रूप से प्रशिक्षण, प्रदर्शन (किस्मों, उत्पादन प्रौद्योगिकियों आदि सम्बन्धी) कृषक हितैषी प्रौद्योगिकियों/ कठोर एवं उबाऊ श्रम को कम करने वाले साधनों व उपकरणों के एक्सपोज़र दौरे, आय के सृजन एवं पोषणात्मक सुरक्षा पर कार्यक्रम आयोजित करते हैं।

****